न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
नामान्तरण अपील संख्याः 13/2023
दायर दिनांकः 05.09.2023
निर्णय दिनांक 08.11.2024

—:अनवानः—

श्री भंवरसिंह पिता स्व. श्री अमर सिंह जी राजपुत उम्र 46 वर्ष काश्त व व्यापार निवासी आर्शीवाद भवन वार्ड संख्या दो, स्वरूप सागर के पास, सनवाड राजसमन्द तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द

— अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती केसर कुंवर पिता स्व. श्री अमर सिंह जी राजपुत पति श्री पाबु सिंह जी सोलंकी उम्र वयस्क पेशा गृहणी निवासी प्लॉट संख्या 64 सिद्धार्थ नगर, जावद राजसमन्द तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द
2. श्रीमती किशन कुंवर उर्फ जया कुंवर पिता स्व. श्री अमर सिंह जी राजपुत पति श्री गणपत सिंह जी डुलावत उम्र वयस्क पेशा गृहणी निवासी प्लॉट संख्या 63 बी, सिद्धार्थ नगर जावद राजसमन्द तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द
3. श्रीमती पुनम कुंवर पिता स्व. श्री अमर सिंह जी राजपुत पति श्री विक्रम सिंह जी राठौड उम्र वयस्क पेशा गृहणी निवासी निवासी प्लॉट संख्या 63 ए, सिद्धार्थ नगर, जावद, राजसमन्द तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द
4. श्रीमती मोहन बाई पत्नि स्व. श्री अमर सिंह जी राजपुत उम्र वयस्क पेशा गृहणी निवासी आर्शीवाद भवन वार्ड संख्या दो, स्वरूप सागर के पास, सनवाड, राजसमन्द, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द
5. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब, राजसमन्द तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द

— रेस्पोंडेन्टगण

<u>अपील विरूद्ध आदेश श्रीमान तहसीलदार साहब राजसमन्द नामान्तरकरण संख्या 1860 दिनांक 22.06.2022 स्वीकृत दिनांक 13.07.2022</u>

उपस्थित :—

1— श्री डूंगरसिंह कर्णावट, अधिवक्ता अपीलांट
2— श्री मुकेश तलेसरा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01,02,03
3— श्री अनील बागोरा, राज0अधि0, रेस्पोडेन्ट संख्या 05
4— रेस्पोडेन्ट संख्या 04 अनुपस्थित

न्यायालय जिला कलक्टर

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के पिता श्री अमरसिंह जी पिता स्वं स्वरूप सिंह जी राजपुत निवासी सनवाड तहसील राजसमन्द के खातेदारी व अधिपत्य की निम्नलिखित आराजीयात ग्राम सनवाड में स्थित है जिनकी प्रमाणीत प्रतिया सबुत मे पेश है, जो निम्नानुसार है :–

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा (हेक्टयर)	अमर सिंह जी का हिस्सा
3	708	0.1214	2/3
4	368	0.0486	2/3
	389	0.2995	
		0.1133	
5	1686/2	0.0526	कूलिया
7	126	0.0162	1/2
		0.0081	
	129	0.0567	
		0.0485	
	130	0.0971	
		0.0243	
	364	0.0647	
	365	0.0405	
		0.1942	
	366	0.0728	
	370	0.1619	
		0.2428	
	388	0.4452	
		0.0485	
	69/1	0.2185	

विद्वान अधिनस्थ तहसीलदार साहब राजसमन्द ने बिना अपीलान्ट को सुने, बिना उसका जवाब लिये, बिना उसकी साक्ष्य लिए कस्बा सनवाड की उपरोक्त आरजीयात का नामान्तरणकरण खोल कर अपीलाधिन आदेश पारित करने में भारी भुल की है। अपीलान्ट के पिता श्री अमर सिंह जी का दिंनाक 09.05.2021 को निधन हो गया है। उन्होने अपने जीवनकाल मे एक वसीयत नामा निष्पादित कर अपनी स्वअर्जित सम्पतिया अपने पुत्र और पुत्रीयो तथा पत्नि को वसीयत के आधार पर अपनी मृत्यु के बाद स्वामित्व प्रदान करते हुये दी है। विद्वान अधिनस्थ तहसीलदार साहब राजसमन्द द्वारा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियो का नामान्तरणकरण अपीलान्ट एवं विपक्षीगण के पक्ष में दिनांक 22.06.2022 को खोल दिया है और उस पर भू–अभिलेख निरिक्षक द्वारा दिनांक 13.07.2022 को अंकन सही होना लिख

न्यायालय जिला कलक्टर

दिया है, उक्त नामान्तरणकरण को स्वीकार कर दिनांक 13.07.2023 को हस्ताक्षर कर दिये है। विद्वान अधिनस्थ तहसीलदार साहब राजसमन्द ने उपरोक्त नामान्तरकरण संख्या 1860 विरासत के आधार पर खोला है, जो गलत है। स्व. अमर सिंह जी ने अपने जीवन काल मे स्वस्थचित एवं स्थिर बुद्धि की हालत में अपनी उक्त कृषि भूमियॉ एवं अन्य सम्पतियॉ अलग–अलग अपने पुत्र एंव पुत्रीयो को वसीयत के आधार पर दे दी थी। जब किसी खातेदार ने अपनी स्वअर्जित सम्पतियो के लिए वसीयत नामा लिख कर दिया हो तो वसीयत के आधार पर ही नामान्तरणकरण खोला जाना कानुनन जरूरी है, न की विरासत से। विद्वान अधिनस्थ तहसीलदार साहब राजसमन्द ने उक्त नामान्तरणकरण खोलते वक्त न तो अपीलान्ट को पुछा, न अपीलान्ट से कोई जानकारी ही ली जबकि अपीलान्ट स्वं अमर सिंह जी का एक मात्र पुत्र होकर उत्तराधिकारी है, केवल विपक्षी पूनम कंवर का झुठा शपथ पत्र लेकर की स्व. अमर सिंह जी ने कोई वसीयत नामा नहीं लिखा है, जबकि विपक्षी पुनम कुंवर स्वयं जानती थी की स्वं अमर सिंह जी ने वसीयत नामा निष्पादित कर कस्बा राजसमन्द मे उसे भी एक मकान पुरा बनाकर दिया है। उक्त नामान्तरणकरण खोलने में भारी भूल की है। विद्वान अधिनस्थ तहसीलदार साहब राजसमन्द, पटवारी जी को सभी उत्तराधिकारी से पुछना चाहिये था, की स्वं अमर सिंह जी ने कोई वसीयत नामा तो नही लिखा है परन्तु उन्होने जानबुझ कर उनके एक मात्र पुत्र अपीलान्ट भंवर सिंह से भी पुछताछ नहीं की और झुठा नामान्तरणकरण खोल दिया है। उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण के आधार पर खाते में भी रद्दोबदल कर दिया है, जो अवैध, अनाधिकार व शुन्य है। इस प्रकार का नामान्तरणकरण कानुनन कोई वैधता नही रखता जो अपीलान्ट के मुकाबले शुन्य है। अपीलान्ट को पूर्व मे विद्वान अधिनस्थ तहसीलदार साहब राजसमन्द के द्वारा उपरोक्त में वर्णित आराजीयात के सम्बन्ध मे नामान्तरणकरण खुलने की जानकारी नहीं थी विपक्षी पुनम कुंवर ने दिनांक 06.08.2023 को बताया कि उक्त सारी कृषि भूमियो पर स्व. अमर सिंह जी के सभी वारीसो के नाम खाता खुल गया है और वो अपने हिस्से में आई जमीन को बेच रही है तब अपीलान्ट ने उसी रोज नकल लेने की दरख्वास्त लगाई और दिनांक 07.08.2023 को ही पटवारी जी ने नामान्तरकरण की नकल उपलब्ध कराई और नकल उपलब्ध होते ही यह अपील आप न्यायालय में पेश कि जा रही है, जो अन्दर मयाद है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेंटगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश तलेसरा तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 05 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 04 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर दिनांकः 07.10.2024 को रेस्पोडेण्ट संख्या 04 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गयी। अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण द्वारा जवाब पेश न कर सिधे बहस हेतु निवेदन किया।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा बहस में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपील प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात के संबंध में विद्वान अधिनस्थ तहसीलदार साहब राजसमन्द ने बिना अपीलान्ट को सुने, बिना उसका जवाब लिये, बिना उसकी साक्ष्य लिए कस्बा सनवाड की उपरोक्त आरजीयात का नामान्तरणकरण खोल कर

न्यायालय जिला कलक्टर

अपीलाधिन आदेश पारित करने में भारी भुल की है। अपीलान्ट के पिता श्री अमर सिंह जी का दिंनाक 09.05.2021 को निधन हो गया है। उन्होने अपने जीवनकाल मे एक वसीयत नामा निष्पादित कर अपनी स्वअर्जित सम्पतिया अपने पुत्र और पुत्रीयो तथा पत्नि को वसीयत के आधार पर अपनी मृत्यु के बाद स्वामित्व प्रदान करते हुये दी है। विद्वान अधिनस्थ तहसीलदार साहब राजसमन्द द्वारा उपरोक्त आरजीयात में वर्णित कृषि भूमियो का नामान्तरणकरण अपीलान्ट एवं विपक्षीगण के पक्ष में दिनांक 22.06.2022 को खोल दिया है और उस पर भू–अभिलेख निरिक्षक द्वारा दिनांक 13.07.2022 को अंकन सही होना लिख दिया है, उक्त नामान्तरणकरण को स्वीकार कर दिनांक 13.07.2023 को हस्ताक्षर कर दिये है। विद्वान अधिनस्थ तहसीलदार साहब राजसमन्द ने उपरोक्त नामान्तरकरण संख्या 1860 विरासत के आधार पर खोला है, जो गलत है। स्व. अमर सिंह जी ने अपने जीवन काल मे स्वस्थचित एवं स्थिर बुद्धि की हालत में अपनी उक्त कृषि भूमियॉ एवं अन्य सम्पतियॉ अलग–अलग अपने पुत्र एंव पुत्रीयो को वसीयत के आधार पर दे दी थी। जब किसी खातेदार ने अपनी स्वअर्जित सम्पतियो के लिए वसीयत नामा लिख कर दिया हो तो वसीयत के आधार पर ही नामान्तरणकरण खोला जाना कानुनन जरूरी है, न की विरासत से। विद्वान अधिनस्थ तहसीलदार साहब राजसमन्द ने उक्त नामान्तरणकरण खोलते वक्त न तो अपीलान्ट को पुछा, न अपीलान्ट से कोई जानकारी ही ली जबकि अपीलान्ट स्वं अमर सिंह जी का एक मात्र पुत्र होकर उत्तराधिकारी है, केवल विपक्षी पूनम कंवर का झुठा शपथ पत्र लेकर की स्व. अमर सिंह जी ने कोई वसीयत नामा नहीं लिखा है, जबकि विपक्षी पुनम कुंवर स्वयं जानती थी की स्वं अमर सिंह जी ने वसीयत नामा निष्पादित कर कस्बा राजसमन्द मे उसे भी एक मकान पुरा बनाकर दिया है। उक्त नामान्तरणकरण खोलने में भारी भूल की है। विद्वान अधिनस्थ तहसीलदार साहब राजसमन्द, पटवारी जी को सभी उत्तराधिकारी से पुछना चाहिये था, की स्वं अमर सिंह जी ने कोई वसीयत नामा तो नही लिखा है परन्तु उन्होने जानबुझ कर उनके एक मात्र पुत्र अपीलान्ट भंवर सिंह से भी पुछताछ नहीं की और झुठा नामान्तरणकरण खोल दिया है। उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण के आधार पर खाते में भी रद्दोबदल कर दिया है, जो अवैध, अनाधिकार व शुन्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01,02,03 ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा जिन साक्ष्य सबूतो के आधार पर उक्त अपील पेश की है वह निराधार है उनके द्वारा जो वसीयतनामा पेश किया गया है वह रजिस्टर्ड नही है तथा अन्य सम्पत्तियों के संबंध में भी वसीयत में उल्लेख हैं जो अकृषि भूमियॉ हैं। स्व. अमर सिंह जी की मृत्यु दिनांक 09.05.2021 को होने के एक वर्ष से अधिक समय के पश्चात तक उक्त वसीयतनामा क्यो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द में पेश नही किया गया। नामान्तरण खुलने के एक वर्ष के पश्चात उक्त अपील पेश की है कि जो मियाद के आधार पर भी खारिज होने योग्य हैं। अपीलार्थी द्वारा मयाद माफी के लिए भी कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया हैं। बिना प्रार्थना पत्र मयाद माफ नही की जा सकती हैं। उक्त प्रकरण में प्रस्तुत अपील के साथ मयाद माफी का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है अपील पेश

न्यायालय जिला कलक्टर

करने की मयाद 30 दिवस हैं और अपील एक वर्ष बाद पेश की गई हैं। जिसका कोई कारण नही दर्शाया गया। अपंजीकृत वसीयत को सिविल न्यायालय से प्रमाणित कराया जाना आवश्यक है राजस्व न्यायालय वसीयत की वैधता को निर्णित नही कर सकता हैं। उक्त वसीयत के आधार पर यदि कोई हक अधिकार अपीलार्थी क्लेम करता है तो उसके लिए सिविल न्यायालय में वाद पेश कर वसीयत के आधार पर हक अधिकार घोषित कराया जाना आवश्यक हैं। नामान्तरण की कार्यावही संक्षिप्त कार्यवाही हैं व वसीयत के आधार पर हक अधिकार सक्षम न्यायालय में वाद के जरिये ही तय किये जा सकते हैं। अतः अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि विरासत के आधार पर उक्त नामान्तरकरण को फैसल किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वसीयत के दस्तावेज पक्षकारान के पूर्वाधिकारी की मृत्यु के एक वर्ष से अधिक समय के पश्चात तक उक्त वसीयतनामा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द में पेश नही किया गया। उसका भी कोई ठोस कारण नही बताया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानो के तहत विरासत का नामान्तरण निर्णित किया गया जो विधि सम्मत हैं। नामान्तरण एक फिस्क्ल प्रक्रिया है जिससे किसी भी व्यक्ति के हक अधिकारो का निर्धारण नही होता हैं। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज किया जाना उचित समझता हूँ।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती हैं।

8/11/24

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 08.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/11/24

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)